2025:CGHC:22666

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 516/2019

1– श्रीमती वंदना मिश्रा पति अशोक मिश्रा आयु लगभग 47 वर्ष,

2– अशोक मिश्रा पिता स्वर्गीय अखिलेश्वर मिश्रा आयु लगभग 51 वर्ष

दोनों गांधी चौक वार्ड क्रमांक–7, थाना मंदिर हसौद ,जिलाः रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं

. **... अपीलार्थीगण**

विरुद्ध

1– इशतदेव कुशवाह पिता रघुवीर महतो,आयु लगभग 32 वर्ष,निवासी– ग्राम पंजरीकला थाना विश्रामपुर झारखंड वर्तमान निवासी–सेरीखेड़ी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर छत्तीसगढ़,(वाहन चालक)

2– मेसर्स क्रैंकिट कैरियर्स, द्वाराः निशित पी. बाबरिया जनता कॉलेज के सामने सिविल लाइन चंद्रपुर जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)जिला: चंद्रपुर, महाराष्ट्र (वाहन स्वामी)

3– नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,द्वाराः अनुविभागीय प्रबंधक,अनुविभागीय कार्यालय, शहीद स्मारक भवन के सामने, जी.ई. रोड, मोबिन महल, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ (बीमाकर्ता)

...प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण की ओर से	:	श्री ए.एल. सिंगरौल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से	:	श्री बी.एन. नंदे, अधिवक्ता,सह श्री अभिषेक मिश्रा,अधिवक्ता

एकलपीठः माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

09/06/2025

1. जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, विद्वान दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति राशि को पूर्ण करने का दायित्व उत्तरवादी क्रमांक 3/बीमा कंपनी का है, अतः पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सम्मति से, प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. यह मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत दावाकर्तागण की अपील है, जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 794/2016 में पारित 12 सितंबर 2018 के निर्णय के अन्तर्गत अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

3. इस अपील के निपटान हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि आवेदकों/दावाकर्तागण ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अधीन विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह अभिवाक करते हुए कि दिनांक 14/10/2014 को जब शुभम मिश्रा अपनी मित्र अनीशा उर्फ अनीता चौहान के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक CG-04 KF-0621 पर सवार होकर रायपुर की ओर आ रही थीं, दोपहर लगभग 1:30 बजे, ग्राम सेरीखेड़ी के पास, डीएस कंस्ट्रक्शन के सामने, अनावेदक क्रमांक 1 ने ट्रांजिट मिक्सचर वाहन क्रमांक MH-34/AB-8202 को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप, शुभम मिश्रा और उनकी मित्र अनीशा उर्फ अनीता चौहान को गंभीर चोटें आईं। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल रायपुर ले जाया गया, यद्यपि चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय शुभम मिश्रा 20 वर्ष का युवा था, जो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से संबद्ध शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में बी.ई. (कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग) तृतीय सेमेस्टर का मेधावी छात्र था। अपीलार्थी/दावाकर्ता, मृतक शुभम मिश्रा के माता-पिता होने के नाते, दुर्घटना में अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के कारण जीवन भर शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से घिरे रहेंगे। आवेदकों ने अनावेदकों से विभिन्न मदों में 11,00,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दावा कार्यवाही में अनावेदक 1 व 2 के उपस्थित न होने के कारण, उन पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई, उनके द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथन में दावा आवेदन में दिए गए तथ्यों का खंडन किया और आगे अभिवाक किया कि दुर्घटना की तिथि को, अनावेदक क्रमांक 1 के पास वाहन MH-34AB-8202 चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और परमिट और फिटनेस के अभाव में उक्त वाहन चलाकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। चूँकि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 3 किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति संदाय हेतु उत्तरदायी नहीं है।

6. विद्वान दावा अधिकरण ने, संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों की समीक्षा के आधार पर, यह अभिआंकलितकिया कि दुर्घटना की तिथि को,अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिससे दुर्घटना हुई, जिसमें शुभम मिश्रा को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन साबित नहीं पाया गया, विद्वान दावा अधिकरण ने अनावेदकों को दावाकर्तागण को क्षतिपूर्ति राशि के संदाय करने हेतु उत्तरदायी ठहराया। विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 7500/– रुपये आंकी और दावाकर्तागण को विभिन्न मदों में हुई हानि की गणना करते हुए, कुल 10,01,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति संदाय का आदेश दिया।

7. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण ने दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों पर उचित तरीके से विचार न करके, कम क्षतिपूर्ति राशि देने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि मृतक शुभम मिश्रा बी.ई. तृतीय सेमेस्टर का छात्र था। वह लगभग 20 वर्ष का एक मेधावी छात्र था और इसलिए विद्वान अधिकरण को मृतक की आय 7,500 रुपये प्रति माह के बजाय 25,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं आंकनी चाहिए थी। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने अन्य पारंपरिक मदों (अंतिम संस्कार व्यय और संपदा की हानि के लिए प्रत्येक को 15,000 रुपये) पर केवल 30,000 रुपये का ही क्षतिपूर्ति अधीनिर्णीत किया है, जो **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य** (2017) 16 एससीसी 680 और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य (2018) 18 एससीसी 130** के प्रकरण में पारित निर्णय के दृष्टिगत उचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 3–बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध किया है एवं तर्क किया है कि मृतक एक छात्र था और अविवाहित था और इसलिए, विद्वान अधिकरण ने मृतक की आय का काल्पनिक आधार पर 7,500 रुपये का उचित आकलन किया है, जिसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। आगे उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने मृतक की आयु को विचार में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के हानि के लिए 40% जोड़ा है और कुल क्षतिपूर्ति का उचित आकलन किया है। अपील सारहीन है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दावा अधिकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

10. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी/दावाकर्ता मृतक शुभम मिश्रा के माता–पिता हैं। मृतक शुभम मिश्रा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर में बी.ई. (कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग) का छात्र था।

प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की अंकसूची की प्रतियां क्रमशः प्र.P–10–C और P–11–C के रूप में संलग्न हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि मृतक बी.ई. (कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग) का छात्र था और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अपने तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् था। दावाकर्तागण ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10+ 2) की अंकसूची भी प्र.P–8–C के रूप में अभिलेख में प्रस्तुत की है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृतक ने 4 विषयों में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि मृतक एक मेधावी छात्र था। साक्ष्य के रूप में अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत, मृतक विद्वान दावा अधिकरण द्वारा आंकलित 7500 रुपये प्रति माह,जो कि एक मजदूर की आय है, इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे किसी शिक्षित व्यक्ति की नहीं,से अधिक आय वाली सेवा में होता। इसलिए, प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं मृतक की आय अधिकरण द्वारा आंकलित 7,500 रुपये प्रति माह के बजाय 15,000 रुपये प्रति माह का आंकलन करना उचित समझता हूँ।

11. आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से ज्ञात होता है कि विद्वान दावा अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए आंकलित आय का 40% उचित रुप से जोड़ा है और मृतक की कुल आय से व्यक्तिगत और जीवनयापन व्यय के लिए 50% की कटौती की है क्योंकि मृतक अविवाहित था, जो कि **सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य** (2009) 6 एससीसी 121 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत उचित भी है। यद्यपि, विद्वान दावा अधिकरण ने **सरला वर्मा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आंकलित 18 के बजाय 17 का गुणक लागू किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. विद्वान दावा अधिकरण ने अन्य पारंपरिक मदों, अर्थात् 15,000 रुपये अंतिम संस्कार व्यय और 15,000 रुपये संपदा की हानि के लिए केवल 30,000 रुपये का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। हालाँकि, विद्वान अधिकरण ने दावाकर्तागण को संघ की हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी है। मृतक के माता–पिता होने के नाते दावाकर्ता भी संतान संघ की हानि के हकदार हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नानू राम उर्फ चुहरू राम** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

13. दावा आवेदन में यद्यपि अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने केवल 11,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया है, तथापि, अधिनियम 1988 के अधीन प्रयोजन न्यायसंगत और उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। "न्यायसंगत क्षतिपूर्ति" पर्याप्त क्षतिपूर्ति है जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उचित और न्यायसंगत हो, ताकि त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई हानि की भरपाई की जा सके, जहाँ तक धन से संभव हो, क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करके, जैसा कि माननीय

उच्चतम न्यायालय ने **सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य** (2009) 6 एससीसी 121 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मीना देवी विरुद्ध नुनु चंद महतो उर्फ नेमचंद महतो व अन्य** (2023) 1 एससीसी 204 के प्रकरण में यह अवधारित किया है कि 1988 के अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित पक्ष को उचित और न्यायसंगत क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। उक्त निर्णय (नुनु चंद महतो) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागप्पा विरुद्ध गुरुदयाल सिंह (2003) 2 एससीसी 274 के प्रकरण में अपने पूर्व के निर्णय पर विचार करते हुए यह माना है कि "ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि अधिकरण/न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं कर सकता। अधिकरण/न्यायालय को "उचित" क्षतिपूर्ति प्रदान करना चाहिए जो अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों के आधार पर उचित हो। अतः दावा याचिका में किया गया कम मूल्यांकन, यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने में बाधा नहीं होगा।"

15. प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, मैं क्षतिपूर्ति राशि की पुनः गणना निम्नानुसार करना उचित समझता हूँ:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	**मद**		**क्षतिपूर्ति**
1.	**(क)** आय/आश्रितता की हानि 15000 x 12 = **1,80,000** **(ख)** भविष्य की संभावनाओं में वृद्धि @ 40% (180000 x 40% = 72000) 180000 + 72000 = **2,52,000** **(ग)** व्यक्तिगत और जीवन–यापन व्यय में 50% की कटौती (**2,52,000** x 50% = 126000) 2,52,000 – 126000 = 126000 **(घ)** 18 का गुणक 126000 x 18 = **22,68,000**		रु.22,68,000
2.	अंतिम संस्कार व्यय	:	(+) 15000
3.	संपदा की हानि	:	(+) 15000
4.	अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण को संतान के साहचर्य की हानि हेतु प्रत्येक को 40,000/– रुपये	:	(+) 80,000
	कुल क्षतिपूर्ति	:	**रु. 23,78,000**

16. अब अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण को दावा अधिकरण द्वारा आंकलित 10,01,000/– रुपये के स्थान पर कुल **23,78,000/–** रुपये का क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया जाता है।

17. उपर्युक्त कुल क्षतिपूर्ति राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। दावाकर्तागण को पूर्व संदाय की गई कोई भी राशि, इस न्यायालय द्वारा अब प्रकल्पित और अधिनिर्णीत कुल क्षतिपूर्ति राशि से समायोजित की जाएगी। आक्षेपित निर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

18. फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाती है।

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**